स्वरामजी /364

प्रकरण कैम्प/ग्राम पंचायत.....

दिनांक 4/6/18 मूल ई. T.D.R. करे प्रार्थना पत्र भेजकर लेख है कि प्रकरण में अपने स्तर से नियमानुसार आवश्यक कार्यवाई कर पालना रिपोर्ट अविलम्ब भिजवायें।

शिविर प्रभारी
जमवारामगढ़ क्षेत्र जयपुर
राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

क्रमांक : कैम्प स्थल खवारामजी / (11)
दिनांक : 4/6/18 खरकड़ा
पटवारी हल्का खरकड़ा
को मूल प्रा. प. भेजकर लेख है कि प्रार्थन पत्र में अंकित तथ्यों की जांच कर प्रकरण का मौके पर ही नियमानुसार निस्तारण कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे

तहसीलदार (भू.अ.)
जमवारामगढ़

स्वरामजी

मु० नं० - 57/2018

निर्णय दिनांक 4/6/18

मुताबिक तहसीलदार जमवारामगढ़ के अनुसार ग्राम गोठ की पट्टी संवत 2057 से 2060 में खातेदार रामसहाय पुत्र भगवान घोटा पत्नि भगवान के नाम है जो मानगा, गोदू पि० राजीला हि० 43, मंगला, तुलसा व श्री नारायण पि० भौरूपा हि० 1/3 के भीजा के नाम रहन दर्ज है पत्रावली पर लोक अदालत की भावना से सुनवाई गई। सुनने के उपरान्त नियमानुसार 3 साल के अधिक रहन खत स्वतः ही समाप्त हो जाता है इसलिये तहसीलदार जमवारामगढ़ को निर्देश दिये जाते है ग्राम गोठ की पट्टी के खा० नं० 103, 169, 245 में दर्ज रहन को (समाप्त) वाकमुक्त कराने के आदेश दिये जाते है तहसीलदार राजस्व रिकार्ड में अमल किया जावे पत्रावली फैसल शुमार होकर नस्ती के काबिल है

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़